

प्रषक,

लोना जोहरी,

सचिव एवं राहत आयुक्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

बाराबंकी।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 16 दिसम्बर, 2014

विषय वर्ष 2013-14 में ओलावृष्टि के पूरक यथा अत्यधित ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु वर्ष 2014-15 में अतिरिक्त धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-318/राहत लिपिक, दिनांक 20.05.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013-14 में ओलावृष्टि के पूरक यथा अत्यधित ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन हेतु शासनादेश संख्या-4024/1-10-2010-14(63)/2010, दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 में दिये गये निर्देशानुसार प्रदेश में शीतलहरी के पूरक ओलावृष्टि, अत्यधित ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से एम0एच0ए0 पत्र संख्या-32-3/2013-एन0डी0एम0-1, दिनांक 21 जून, 2013 द्वारा जारी भारत सरकार की गाइड लाइन के आईटम नं0-3 के प्राविधान Provision for Temporary Accommodation, food, clothing medical care etc. for people affected evacuated, sheltered in relief camps के अनुसार गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु रू0 1,93,580/- (रूपये एक लाख तिरानबे हजार पाँच सौ अस्सी मात्र) की अतिरिक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण/शर्तों के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पी0एस0आर0/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश सं0 2785/1-10-2011-12(73)/2008 दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 05 जुलाई, 2013 जिसके साथ भारत सरकार का पत्र दिनांक 21 जून, 2013 संलग्न किया गया है में अर्ह मानक मदों का भी अनुपालन किया जायेगा।

3- आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इस राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय

राज्य आपड, मौखिक संधि से स्वीकृत धनराशियों का उपयोग करण का सम्बन्ध में शासन द्वारा संख्या—यू0आ0-2, 1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 में दिय गये दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई वचन अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च 2015 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।

4- उक्त धनराशि का उपभाग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 व प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

5- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजार्स्टर रैस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजार्स्टर रैस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

6- भविष्य में शासन से धनराशि प्राप्त होने पर ही अतिरिक्त कय की कार्यवाही की जायेगी।

भारतीया,
15-12-14
(लीना जौहरी)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-1120 (1)/1-10-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- ✓ 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बाराबंकी।
- 8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 9- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मदन मोहन
अनु सचिव।